न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 22 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. गजेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल उम्र 31 वर्ष 2. प्रेमाराम पुत्र हंसाराम उम्र 40 वर्ष 3. रमेश कुमार पुत्र छगनलाल उम्र 27 वर्ष 4. रामाराम पुत्र आईदानराम उम्र 50 वर्ष जातियान माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.जिला कलक्टर, बाड़मेर। 2.सरपंच, ग्राम पंचायत शिवकर तहसील बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक 6591 दिनांक 14.09.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 10.06.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 02 ने एकतरफा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.02.2014 एकतरफा व गुपचुप तरीके से पारित कर ग्राम पंचायत शिवकर में ग्राम नेनवा के खेत खसरा संख्या 51 रकबा 55.13 बीघा किस्म बारानी सोयम में से रकबा 02 बीघा भूमि सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु उतरदाता संख्या 01 को प्रेषित किया गया, जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने सम्यक रूप से जांच किये बिना ही उतरदाता संख्या 02 के प्रस्ताव पर ग्राम नेनवा के खेत खसरा संख्या 51 रकबा 55.13 बीघा किस्म बारानी सोयम में से रकबा 02 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 12(458)(1)राज / 2015 / 6591 दिनांक 14.09.2016 को उक्त 02 बीघा भूमि सैट अपार्ट(आवंटन) की गई है। उक्त आंवटन से पूर्व उतरदाता संख्या 01 व 02 ने ग्रामवासियों व अपीलांटगण से कोई राय नहीं ली गई है तथा ग्रामवासियों को

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सुनवाई का अवसर दिये बिना व उनकी सहमति के बिना एकतरफा आलोच्य आदेश पारित किया गया। उक्त आंवटित भूमि से मात्र एक किमी दूरी वक्त सेटलमेंट से श्मशान भूमि खसरा संख्या 261 रकबा 02.03 बीघा अवस्थित है, जिसका ग्रामीणों द्वारा प्रयोग लिया जा रहा है तथा जिसके चारों तरफ पक्की बाउण्डरी भी बनी हुई है तथा खसरा संख्या 261 में अन्य सुविधा पानी का टांका, स्नानगृह अदि बने हुऐ है ऐसी स्थिति में एक किमी दायरे में दूसरा श्मशान स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। खसरा संख्या 51 गांव की घनी आबादी के मध्य स्थित है तथा उक्त खसरे के आस पास घनी आबादी बसी हुई है तथा पास विश्व प्रसिद्ध शिवकर की सब्जियों की बाड़ियों भी स्थित है तथा उक्त श्मशान से निकलने वालें धुऐं व दुर्गध से पास स्थित घरों, सब्जी की बाड़ियों आदि पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। आंवटित भूमि श्मशान में आने जाने हेतु कोई सीधा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आंवटन से पूर्व मौका रिपोर्ट तलब करते तो अवश्य ही उन्हें खसरा संख्या 261 में अवस्थित श्मशान की जानकारी होती। अपीलाधीन विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलाधीन आंवटन से पूर्व उतरदाता संख्या 01 व 02 ने ग्रामवासियों व अपीलांटगण से कोई राय नहीं ली गई है तथा ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना व उनकी सहमति के बिना एकतरफा आलोच्य आदेश पारित किया गया। उक्त आंवटित भूमि से मात्र एक किमी दूरी वक्त सेटलमेंट से श्मशान भूमि खसरा संख्या 261 रकबा 02.03 बीघा अवस्थित है, जिसका ग्रामीणों द्वारा प्रयोग लिया जा रहा है तथा जिसके चारों तरफ पक्की बाउण्डरी भी बनी हुई है तथा खसरा संख्या 261 में अन्य सुविधा पानी का टांका, स्नानगृह अदि बने हुऐ है ऐसी स्थिति में एक किमी दायरे में दूसरा श्मशान स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। खसरा संख्या 51 गांव की घनी आबादी के मध्य स्थित है तथा उक्त खसरे के आस पास घनी आबादी बसी हुई है तथा पास विश्व प्रसिद्ध शिवकर की सब्जियों की बाड़ियों भी स्थित है तथा उक्त श्मशान से निकलने वालें धुऐं व दुर्गध से पास स्थित घरों, सब्जी की बाड़ियों आदि पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। आंवटित भूमि श्मशान में आने जाने हेतु कोई सीधा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आंवटन से पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौका रिपोर्ट तलब करते तो अवश्य ही उन्हें खसरा संख्या 261 में अवस्थित श्मशान की जानकारी होती। अपीलाधीन विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तहसीलदार के पत्रांक 1388 दिनांक 28.02.2014 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम नेनवा में पूर्व में मेगवाल समाज हेतु शमशान भूमि नहीं है उक्त ग्राम नव सृजित ग्राम है। इसके संबंध में एस.डी.ओ. बाड़मेर से भी जिला कलक्टर महोदय द्वारा विशिष्ट बिंदुओं पर रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होनें उनके पत्रांक 3370 दिनांक 06.11.2015 से स्पष्ट खुलासा करते हुए 05.00 बीघा भूमि मेघवाल एवं गुरूओं के श्मशान हेतु आवंटन/आरक्षित करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट दी। इस ग्राम में पूर्व में इस प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित नहीं है बल्कि खसरा संख्या 261 में पृथक/दूसरे ग्राम शिवकर के लिए श्मशान भूमि है। अपीलाधीन आदेश में विधिक दृष्टि से कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है जिससे हस्तक्षेप करने की गुजाईश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। परन्तु वर्तमान में गांव में चर्चा फैली की कि ग्राम पंचायत ने खसरा संख्या 51 में आंवटन स्वीकृत करवा लिया है तब अपीलाधीन आदेश की नकले दिनांक 19.10.2016 को प्राप्त की जिस पर अपीलांटगण को सम्यक रूप से जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं, तथा विलंब का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि नवसृजित **ग्राम नैनवा** में **ग्राम पंचायत शिवकर के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.02.2014** के अनुसार मेघवाल समाज के **सार्वजनिक शमशान हेतु 02 बीघा भूमि आवंटन/आरक्षण चाहा।** इस प्रस्ताव पर 02 बीघा भूमि आरक्षण बाबत जिला कलक्टर बाड़मेर ने विधिवत रूप से तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर की रिपोर्ट ली जिसमें उन्होंने अपनी अभिशंषा की। प्रस्तावित भूमि सिवायचक खसरा **संख्या 51 में दूरस्थ एक कोने में खाली होने से दी गई है जो आबादी से सर्वथा दूरी पर है।** इस पर पहुँच हेतु **मौके पर ग्रेवल/मुरड़िया सड़क** बनी हुई है। ग्राम **पंचायत के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव** के मद्देनजर अपीलांटगण की आपति का सार्वजनिक हित में कोई महत्व नहीं है। अपीलांटगण सीधे तौर पर अपीलाधीन निर्णय से न तो पीड़ित हैं एवं न ही प्रभावित **अपीलाधीन आदेश से सार्वजनिक हित में श्मशानघाट हेतु भूमि आरक्षित** की गई है जिसमें समष्टि का हित निहित है। इस आदेश में कोई त्रुटि या अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक 6591 दिनांक 14.09.2016 को यथावत रखा जाता है।

10/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner